न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:—190 / 17 (आरसीएमएस नं. 2017 / 00137)

1. रवि कुमार उर्फ लाला पुत्र श्री विश्वनाथ, जाति महाजन, निवासी मिश्रों का मौहल्ला वार्ड संख्या 12, फतेहपुर, थाना कोतवाली, फतेहपुर जिला सीकर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, सीकर
2. जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 16.09.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के आदेश दिनांक 18.04.2017 (प्रकरण संख्या 24 / 2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं आधारो के विपरित होने व विधि विधान एवं प्रक्रिया के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर के द्वारा जब एक बार इन तथ्यों पर अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 10 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के समक्ष परिवाद पेश कर दिया तब पुनः उन्ही तथ्यों के आधार पर धारा 1 / 10 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कोई परिवाद पेश नही कर सकता था, उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने जब दिनांक 23.11.2015 को धारा 110 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही ड्रोप कर दी तब पुनः उन्ही तथ्यों पर अधिनियम के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट सीकर के द्वारा धारा 3000 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये बाध्य था इस धारा के विपरित जाकर जिला मजिस्ट्रेट सीकर के द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतया: क्षेत्राधिकार के बाहर एवं अवैध है और इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.017 अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट सीकर को तथ्यों के आधार पर स्वयं का संतुष्ट कर यह घोषित करना आवश्यक था कि अपीलार्थी राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 1 बी के अन्तर्गत परिभाषित गुण्डा है और उसके विरूद्ध लोक शान्ति बनाये रखने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न तो अपीलार्थी को गुण्डा घोषित किया और न ही स्वयं का संतोषप्रद समाधान होना अंकित किया जिस कारण लोक शान्ति बनाये रखने हेतु कार्यवाही करना आवश्यक हो सके अथाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई समस्त

P.T.O.

कार्यवाही क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के समय अपीलार्थी को धारा 3 के अन्तर्गत अनुसूचित प्रपत्र 1 में विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है जिसमें अपीलार्थी को यह सूचित किया जाना आवश्यक था कि उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों की प्रकृति तथा विवरण क्या है, जो नोटिस अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि के अनुसार अपीलार्थी पर तामील नही करवाया गया है जिसके बिना अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित होने से अवैध है इसके अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई समस्त कार्यवाही क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों के स्पष्टीकरण हेतु कोई न्यायोचित अवसर प्रदान नही किया गया जो धारा 3(2) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत आज्ञापक प्रावधान है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को ही परिवाद मानकर उस पर बिना कोई जॉच या उसमें अंकित तथ्यों पर बिना साक्ष्य लिये जो अधिनियम की धारा 8 के तहत आज्ञापक है, पूर्ण सत्य मानकर कार्यवाही कर विधि विरूद्ध कार्य किया है और अपीलाधीन आदेश बिना जॉच के होने से दूषित एवं अवैध है इसके अभाव में भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थी को अधिकतम छः माह के लिऐ सीकर जिले से बाहर करने का आदेश तो पारित कर सकता है परन्तु अपीलार्थी को सिर्फ नागौर जिले में ही रहने के लिये बाध्य करने का आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (डी) के विरूद्ध होने के कारण अपीलार्थी के मौलिक अधिकारों का हनन है जो आदेश विधि के अनुसार पारित नही किया जा सकता है उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2017 को अपास्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा ना ही उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिविक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट के विरूद्ध 15 साल की अवधि में जुआ, सट्टा, अपहरण, मारपीट के 13 प्रकरण दर्ज हुऐ है जिनमें से लगभग 8 प्रकरण में अपीलान्ट को सजा से दण्डित किया गया है एवं कुछ प्रकरण अपीलान्ट के विरूद्ध विचाराधीन भी है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध राजस्थान

गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/10 के तहत प्रस्तवित कार्यवाही किया जाना उचित माने हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की काई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2017 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर